

FORM- IV**राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप**

1	परियोजना ब्यौरे :-	
	1. उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है —	रिलायंस जियो द्वारा कोरबा से बताती तक 0.650 हेक्टर में ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु
	2. अपेक्षित वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्रज्ञपत किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो) —	आरक्षित वन — निरंक संरक्षित वन — 0.358 , ऑरेज एरिया — 0.114 राजस्व वनभूमि — 0.178 कुल 0.650 हेक्टर ।
	3. परियोजना की कुल लागत —	52.00 लाख में
	4. परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताएं जाएं —	अन्य उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण वनभूमि का आवश्यकता है ।
	5. वित्तीय तथा सामाजिक लाभ —	जन कल्याण एवं केन्द्रीय राजस्व में वृद्धि
	6. कुल लाभान्वित होने वाली आबादी —	सम्पूर्ण भारत
	7. सृजित रोजगार	आवश्यकता अनुसार
2	परियोजना स्कीम का स्थान :-	कोरबा से बताती
	1. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश —	छत्तीसगढ़
	2. जिला —	कोरबा
	3. वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट —	कक्ष क्रमांक 986, 985 , 979, 1008, 1006, 1004, 1265, 1281 राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 210, 610, 43/1, 604/1, 611/1, 589/1, 897, 920, 566, 298, 175, 123/1
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा —	आरक्षित वन — निरंक संरक्षित वन — 0.358 , ऑरेज एरिया — 0.114 राजस्व वनभूमि — 0.178 कुल 0.650 हेक्टर ।

4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा –	
	1. वन की वैधानिक स्थिति (नामत: आरक्षित/सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) –	आरक्षित वन –निरंक संरक्षित वन – 0.358 , ऑरेज एरिया – 0.114 राजस्व वनभूमि – 0.178 कुल 0.650 हेक्टर।
	2. क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा –	संलग्न है।
	3. वनस्पति की सघनता –	0.3
	4. वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार –	वृक्ष विदोहन नहीं होना है।
	5. भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं –	नहीं है।
	6. क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणीयों को संलग्न करें)	नहीं है।
	7. विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना/स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा –	ओ.एफ.सी. केबल को भूमिगत बिछाना है। 0.650 हेक्टर भूमि का उपयोग की जानी है।
	8. क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटपत्र वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजातियां –	आवश्यक नहीं है।
	9. क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है	आवश्यक नहीं है।
	10. प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	आवश्यक नहीं है।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा –	आवश्यक नहीं है।
	1. विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	आवश्यक नहीं है।
	2. विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या –	आवश्यक नहीं है।
	3. विस्तृत पुनर्वास योजना –	आवश्यक नहीं है।

6	क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे –	
	1. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार –	शासन द्वारा छूट प्रदान की गई है।
	2. क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र /अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र –	आवश्यक नहीं है।
	3. रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समय सूची लागत ढाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम –	निरंक
	4. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय –	आवश्यक नहीं है।
	5. वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ता. किये जायें जो कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हो)	आवश्यक नहीं है।
	6. क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र –	नहीं है।
	7. पारिषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल पारिषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये –	आवश्यक नहीं है।
	1. पारिषण लाईन की कुल लम्बाई –	नहीं है।
	2. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई –	नहीं है।
	3. मार्ग का अधिकार –	नहीं है।
	4. निर्मित किये जानेह वाले टावरों की संख्या –	नहीं है।
	7. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या –	नहीं है।
	8. पारिषण टावरों की ऊंचाई –	नहीं है।

7	सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए -	नहीं है।
	1. कुल आवाह क्षेत्र -	नहीं है।
	2. कुल कमानु क्षेत्र -	नहीं है।
	3. कुल जलाशय स्तर -	नहीं है।
	4. उच्च बाढ़ स्तर -	नहीं है।
	5. न्यूनतम प्राप्ति स्तर -	नहीं है।
	6. परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागृह भूमि, मावन आबादी तथा अन्य) -	नहीं है।
	7. उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र -	नहीं है।
	8. पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र -	नहीं है।
	9. पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	नहीं है।
	10. पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये)	नहीं है।
	11. न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र -	नहीं है।
	12. विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना -	नहीं है।
	13. कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में -	नहीं है।
8	सड़क /रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे -	नहीं है।
9	केवल सड़क /लाईनों के प्रस्तावों के लिये -	नहीं है।
	1. पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	नहीं है।
	2. सड़क की कुल लम्बाई -	नहीं है।
	3. पहले बनाई जा चुंकि सड़क की कुल लम्बाई -	नहीं है।

10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)	नहीं है।
	1. कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	नहीं है।
	2. प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि –	नहीं है।
	3. वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार –	नहीं है।
	4. खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन –	नहीं है।
	5. खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	नहीं है।
	6. चरणबद्ध सुधार योजना –	नहीं है।
	7. जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान –	नहीं है।
	8. पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें –	नहीं है।
	9. नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या –	नहीं है।
	10. निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल –	नहीं है।
	क. खनन –	नहीं है।
	ख. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारन –	नहीं है।
	ग. अधिभार को जमा करना –	नहीं है।
	घ. औजारों एवं मशीनों का भण्डारन –	नहीं है।
	ङ. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	नहीं है।
	च. शहर, आवास, कालोनियां –	नहीं है।
	छ. सड़क /रेल्वे मार्ग/ रज्जु मार्ग का निर्माण	नहीं है।
	ज. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	नहीं है।
	11. परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/ स्थापित न किये जाने के क्या कारण है	आवश्यक नहीं है।

	12. खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या –	आवश्यक नहीं है।
	13. बारहमासी नदियों के मार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की दूरी –	आवश्यक नहीं है।
	14. पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (उपरिमृदा) के भण्डार की प्रक्रिया)	आवश्यक नहीं है।
	15. भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन, तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव –	आवश्यक नहीं है।
11	लागत लाभ विश्लेषण –	नहीं है।
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये हैं (हां/नहीं)	आवश्यक नहीं है।
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है.(हां/नहीं) यदि हां तो –	आवश्यक नहीं है।
	1. शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे –	नहीं है।
	2. अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी –	नहीं है।
	3. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही –	नहीं है।
	4. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुये कार्य किया जा रहा है –	नहीं है।
14	कोई अन्य सूचना –	नहीं है।
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे–	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात् –	
	1. इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद –	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	2. क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की	इस प्रकरण में लागू नहीं है।

	लकड़ी में आत्म निर्भर है	
	3. निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव –	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	(क) ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति –	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	(ख) आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका –	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	4. कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें – प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग वनभूमि की न्यूनतम मांग है।	




वनपरिष्काराधिकार,
छोरवा परिक्षेत्र (सा.)


(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबन्धक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

कंडिका 07 के अनुक्रमांक-02 के III की जानकारी

क्र.	वनमंडल का नाम	वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आरक्षित वनक्षेत्र हे. में	संरक्षित वनक्षेत्र हे. में	नारंगी वनक्षेत्र हे. में	योग हे. में
1	2	3	4	5	6	7	9
9.	कोरबा	दक्षिण रजगामार	OA1265	---	---	0.108	0.108
10.	कोरबा	डुमरडीह (अ)	OA1281	---	---	0.006	0.006
11.	कोरबा	उत्तर कोरबा	P986	---	0.047	---	0.047
12.	कोरबा	उत्तर कोरबा	P985	---	0.061	---	0.061
13.	कोरबा	केशला (ब)	P979	---	0.037	---	0.037
14.	कोरबा	करतला भाग	P1008	---	0.085	---	0.085
15.	कोरबा	करतला भाग	P1006	---	0.075	---	0.075
16.	कोरबा	करतला भाग	P1004	---	0.052	---	0.052
संरक्षित एवं नारंगी वनक्षेत्र का योग :-					0.358	0.114	0.472

प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	वनमंडल का नाम	वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	राजस्व वनभूमि हे. में	योग हे. में
13.	कोरबा	डोगरडीह	210	0.008	0.008
14.	कोरबा	कोरकोमा	610	0.008	0.008
15.	कोरबा	कोरकोमा	43/1	0.006	0.006
16.	कोरबा	कोरकोमा	604/1	0.001	0.001
17.	कोरबा	कोरकोमा	611/1	0.017	0.017
18.	कोरबा	कोरकोमा	589/1	0.024	0.024
19.	कोरबा	कोरकोमा	897	0.004	0.004
20.	कोरबा	कोरकोमा	920	0.023	0.023
21.	कोरबा	कोरकोमा	566	0.002	0.002
22.	कोरबा	डुमरडीह	298	0.070	0.070
23.	कोरबा	राजघुमर	175	0.011	0.011
24.	कोरबा	राजघुमर	123/1	0.004	0.004
राजस्व वनभूमि का योग				0.178	0.178
कुल योग					0.650


वनपरिक्षेत्राधिकारी,
 कोरबा परिक्षेत्र (सा.)



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
 रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
 रायपुर छत्तीसगढ़

2

कंडिका क्रमांक-07 form no.IV S.No. 4-II Details of flora and funa

Existing in the area

FLORA

- (A)- वृक्ष (TREES):-
- (B) झाड़ियां एवं शाक (Shrubs & Herbs)
- (C) बेलाएं एवं परजीवी (Climbrers & Parasitis)
- (D) बांस, घास एवं बेलाएं (Bamboos, Grasses & Sedges)

FUNA

- (A)- वन प्राणी (Animals):-
- (B)- सरीसृप (REPTILES):-
- (C)- पक्षियां (Birds):-

उपरोक्त जानकारी संलग्न है ।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़